न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 39/2023 जीसीएमएस संख्या– 2023/87

अपीलान्ट

1. रामेश्वर लाल पुत्र रामदेव
2. अर्जुनराम पुत्र रामदेव
3. मंगनीदेवी बेवा रामदेव
4. छोटी देवी पुत्री रामदेव
5. बाबूलाल पुत्र बन्नाराम
6. पांचीदेवी पुत्री बन्नाराम
7. किशोर कुमार पुत्र श्रवणराम
8. श्याम कुमार पुत्र श्रवणराम
9. बालादेवी पुत्री श्रवणराम
10. मुलाराम पुत्र धन्नाराम
11. प्रभूराम पुत्र धन्नाराम
12. शारदा पुत्री धन्नाराम
सभी जाति बावरी निवासी ग्राम कड़वा का बासड़ा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।
13. श्रवण पुत्र जीवणराम (पुत्र भंवरी देवी) जाति मेघवाल निवासी जोशीपुरा तहसील नावां।

रेस्पोन्डेन्ट्स

1. भंवरलाल पुत्र बनाराम
2. छोटुराम पुत्र बनाराम
3. नन्दु पुत्री बनाराम जाति मेघवाल निवासी जोशीपुरा तहसील नावां।
4. काना पुत्र सुजाराम
5. किशनाराम पुत्र सुजाराम
6. बानाराम पुत्र सुजाराम
7. रामेश्वर पुत्र सुजाराम
8. मागुराम पुत्र सुजाराम
9. भंवरी पुत्री सुजाराम
10. गोपीदेवी पुत्री सुजाराम
11. छोटीदेवी पुत्री सुजाराम
12. मंजु पुत्री सुजाराम समस्त जाति जाट निवासियान कड़वा का बासड़ा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।
13. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नांवा।

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री बोदूराम चौधरी, श्री बिरमा राम, श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट (1ता.3) की ओर से।
3. राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी सरकार की ओर से।

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 02.08.1962
अपील अन्तर्गत [illegible] अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 02.08.1962 द्वारा नायब तहसीलदार नावां के विरूद्ध पेश की है।

2. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम कुचामन सिटी तहसील नावां वर्तमान तहसील कुचामन सिटी के पटवार हल्का कुचामन सिटी के अन्तर्गत अवस्थित वर्तमान खसरा संख्या 563 रकबा 4.49 हैक्टयर गत खसरा नम्बर 238 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही अव्वल एवं वर्तमान खसरा नम्बर 562 रकबा 0.02 हैक्टयेर गत खसरा नम्बर 237 रकबा 3 बिस्वा किश्म गैर मुमकीन बेरा सम्वत 2008 से 2027 की मिसल बंदोबस्त के कॉलम संख्या 4 में उपभोग का नाम पिता का नाम जाति व निवास स्थान के अनुसार देवा वल्द सुखा 1/4 जाट, नानू वल्द डूंगा 1/4 बलाई, नंदा वल्द रूगा 1/4 गुर्जर, काना वल्द शिवजी 1/4 बावरी सा. देह खातेदार के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में अपीलांट संख्या 1 से 12 के दादा काना पुत्र शिवजी बावरी व अपीलांट संख्या 13 के नाना नानू पुत्र डूंगा बलाई का नाम बतौर खातेदार सम्वत 2022 से 2025 तक की जमाबंदी के कॉलम सख्यां 5 में नाम, कृषक विवरण सहित में भी खसरा नम्बर 237 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा एवं जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 के अनुसार कॉलम संख्या 5 में नाम कृषक में देवा पुत्र सुखा 1/4 जाट, नानू पुत्र डूंगा 1/4 बलाई, नंदा पुत्र रूगा 1/4 गुर्जर एवं काना पुत्र शिवजी 1/4 बावरी साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज रहता आया है तथा इसी अनुसार उक्त भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहता आया है।

3. अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

(1)– यह कि, माननीय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश जैर अपील स्थापित विधि व दस्तावेजी साक्ष्यों, कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि अपीलांटस की पुश्तैनी भूमि है तथा अपीलांट संख्या 1 से 12 के दादा काना एंव अपीलांट संख्या 13 के नाना दूंगा अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय उन्हें खातेदारी अधिकार कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त हो गये तो अनुसूचित जाति के यह खातेदारी अधिकार नायब तहसीलदार धारा 19 के तहत समाप्त नहीं कर सकता बल्कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी कृषि भूमि पर कानून सम्मत अधिकार रखता है तो वह उसका अन्तरण स्वेच्छा से भी किसी अन्य स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं कर सकता। अतः उपरोक्त कानूनी स्थिति के अनुसार भी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि में उनके खातेदारी अधिकार नायब तहसीलदार को समाप्त करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद अपीलांटस के पुर्वजों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पुश्तैनी भूमि में खातेदारी समाप्त करने का जो नामान्तरकरण तस्दीक कर स्वीकृत किया है वह निरस्त योग्य है।

(2)– यह कि, विद्वान नायब तहसीलदार नावां ने आक्षेपित आदेश दिनांक 02.08.1962 पारित करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक [illegible] ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रिकोर्डेड खातेदार काना बावरी [illegible] के प्रतिकूल कोई आदेश पारित करने से पूर्व रिकोर्डेड खातेदारों को समुचित स[illegible] एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर देना चाहिए था। व नायब तहसीलदार नावां का यह कर्तव्य था कि वह अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट सं० 1 नानूराम अधि[illegible] न्यायालय में स्वच्छ हाथों से न्याय प्राप्त करने नहीं आया, बल्कि अपीलान्ट का रास्ता बन्द करवाने व उनके खेत में से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्राप्त करने के लिए गया था, जो निर्णय / आदेश निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावें। हस्ताक्षर तहसीलदार के सामने नहीं हुए है, घर पर करवा कर लाया था। अभी रास्ता खुला हुआ तथा 1/2 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट पक्ष का कब्जा काश्त है।

(3)– यह कि, साबिका खसरा नम्बर 237, 238 देवा, डूंगा, नंदा, काना के नाम से खातेदारी में दर्ज था जिसमें से खसरा नम्बर 237 के नया खसरा नम्बर की खातेदारी आज दिन भी अपीलांटस के पिता के नाम से दर्ज है। उक्त गैर मुमकीन कुंआ खसरा नम्बर 238 के मध्य स्थित है यदि अपीलांटस एवं उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होता तो गत खसरा नम्बर 237 में भी खातेदारी नहीं रहती। इसके अलावा साविक खसरा नम्बर 238 में अपीलांट के पूर्वज जो अनुसुचित जाति से संबंधित है। जिनकी खातेदारी को समाप्त करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है तथा न ही धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नायब तहसीलदार को है बल्कि धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार देने का अधिकार सहायक कलक्टर को है जो विधिनुसार सभी व्यक्तियो को सुनवाई का अवसर देने का पश्चात विधि सम्मत आदेश पारित करता है। किन्तु नायब तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी समाप्त कर देवा पुत्र सुखा जाट को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नई खातेदारी देने का जो नामान्तरकरण स्वीकृति का बिना किसी साक्ष्य ऑथोरिटी के आदेश पारित किय है वह शुरू से ही अवैध व शून्य है। तथा ऐसे नामान्तरकरण से कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

(4)– नायब तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी देने का आदेश नामान्तरकरण संख्या 54 में दिया है। उक्त प्रकरण में एक सह खातेदार द्वारा बिना कोई आवेदन पेश किये एंव बिना जांच किये सह खातेदारों की खातेदारी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधि विपरीत जाकर बिना अधिकारिता के अनुसूचित जाति के रिकोर्डेड खातेदारों की खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिया एंव केवल मात्र देवा जाट को नायब तहसीलदार ने सम्पूर्ण भूमि का खातेदार स्वीकृत करने का नामान्तरकरण तस्दीक कर खातेदार बना दिया। नायब तहसीलदार का ऐसा आदेश शुरू से ही अवैध व शून्य है जो खारिज किये जाने योग्य है।

(5)– यह कि, अपीलांट के पूर्वजों का सम्वत् 2008 से पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त रहता आया तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार साबिका खसरा नम्बर 238 का सम्वत् 2008 से लेकर सम्वत् 2026 तक रिकोर्डेड खातेदार के रूप में जमाबन्दी में दर्ज रहा है तथा साबिका खसरा नम्बर 237 में सम्वत् 2008 से लेकर आज दिन तक खातेदारी अधिकार [illegible] जाति के रिकोर्डेड खातेदारों रहते आये है। किन्तु नायब तहसीलदार [illegible] को खातदोरी अधिकार प्रदान कर को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही [illegible] मेघवाल का साबिका नामान्तरकरण तस्दीक कर रिकोर्डेड खातेदार [illegible] नाम विलोपित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 238 रकबा 27 बीघा [illegible] तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं था और न खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतू नायब तहसीलदार [illegible] दिया, इसलिये भी नायब तहसीलदार द्वारा ही रिकोर्डेड खातेदारों को सुनवाई का अवसर [illegible] स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 54 खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

4. उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 20.06.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 23.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।

5. प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि नायब तहसीलदार नावां द्वारा ग्राम कुचामन सिटी के नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 02.08.1962 स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट ने दिनांक 20.06.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर विचार किया जाकर चूंकि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से कानूनी जानकारी नहीं होती है अतः न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील की मेरिट पर सुनवाई की जानी उचित है।

6. बहस अधिवक्ता अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट की सुनी गई। राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी की ने दौरान बहस बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार अधिकृत नहीं हैं। धारा 19 के तहत खातेदारी देने के लिए अधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर होता हैं। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। हस्तगत अपील में उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार नावां द्वारा कृषक के नाम विवरण में देवा पुत्र सुखा 1/4 कौम जाट नानू पुत्र डूँगा 1/4 मेघवंशी नन्दा पुत्र रूघा 1/4 कौम गुर्जर काना पुत्र शिवजी 1/4 बावरी सा. देह दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण पंजिका पर यह नोट लगाया है कि खसरा संख्या 238 पर कब्जा काश्त देवा पुत्र सुखा कौम जाट सा देह संवत 2012 से 2016 तक लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19(2) के तहत खातेदारी स्वीकृत की जाती हैं फीस कानून 1 साल का लगान वसूल होवें। एवं पंजिका के कॉलम नम्बर 14 में यह प्रविष्टि की गयी है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 19 के तहत 3/4 में नयी खातेदारी मिली। इस दस्तावेज पर पटवारी व भू.अ.नि. सर्कल कुचामन की टिप्पणी अंकित होकर हस्ताक्षरित एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार नावां के द्वारा खातेदारी स्वीकृति का नोट अंकन उपरान्त हस्ताक्षर एवं नायब तहसीलदार नावां की मोहर लगी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:34 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रकरण में [illegible] यह है [illegible] ना[illegible] तहसीलदार नावां के द्वारा धारा 19 (2) के तहत खातेदारी अधिकारी प्रदान कि[illegible] है। जबकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के त[illegible] किसी कृषक [illegible] अधिकार देने के लिए सहायक कलक्टर ही अधिकृत अधिकारी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

सहखातेदारों के खातेदारी अधिकार उक्त नामान्तरकरण के जरिये समाप्त कर दिये एवं खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही और सक्षम अधिकारी (सहायक कलक्टर) न होते हुए भी आदेश पारित किया जाना विधि एवं नियम विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार दोनों ही खातेदारी अधिकार देने में सक्षम नहीं है। (मदनलाल बनाम रतनलाल 2004 आर.आर.डी. 316 व नेतराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2008 आर.आर.डी. 2000 (एच.सी.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खुदकाश्त के कतिपय अनिधारियों और उप अनिधारियों को अधिकार प्रदान किये जाते हैं जबकि देवा पुत्र सुखा संयुक्त रूप से काना व नानू वगैरह के साथ सहखातेदार के रूप मे दर्ज था जिसकी पुष्टि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 एवं जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2026 के द्वारा होती है। इस प्रकार नायब तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनुसूचित जाति की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि का खातेदारी अधिकारी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं मिल सकते है। (राज्य बनाम कालू 2004 आर.आर.डी. 786)

अपील अपीलान्ट सारगर्भित होने से स्वीकार योग्य है। त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 54 विधिसम्मत नही होने के कारन अपास्त किया जाना उचित होगा।

<u>–आदेश–</u>

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश संख्या 54 दिनांक 02.08.1962 को खारिज/निरस्त किया जाता है। काना बावरी व नानू बलाई के विधिक वारिसान की नियमानुसार खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार कुचामन को तहरीर जारी हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * कुचामन सिटी *

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * कुचामन सिटी *

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:34 IST
Reason: SelfAttested